राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक 7(185)ग्रावि/अनु–8/2014/ दिनांक: 19.11.2015

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18 नवम्बर 2015 को शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. ग्रामीण विकास की योजनाऐं

1 जिला प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत जिला भ्रमण रिपोर्ट के आधार पर जिलों द्वारा अनुपालना रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे।
2 जिले की योजनावार प्रगति समीक्षा कर आ.शासकीय पत्र से मुख्यालय को विडियो कान्फ्रेन्स से पूर्व मुख्यालय को भेजे।
3 विकास अधिकारी की रिव्यू बैठक का नोट सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जारी करे।
4 इन्दिरा आवास/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
5 जिला नागौर, बूँदी, राजसमंद, पाली, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, डूँगरपुर, स0माधोपुर, की प्रगति पिछले तीन माह से राज्य औसत से कम रही है। सबसे कम प्रगति नागौर जिले की है।
6 जिन जिलों को आईडब्ल्यूएमएस की ट्रेनिंग की आवश्यकता है वे प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाये ताकि मुख्यालय से टीम भेजी जा सके।
7 दिनांक 30.11.2015 तक पाली, धौलपुर, नागौर, अलवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मुख्यालय पर बुलाकर प्रगति की समीक्षा की जावे।
8 जिला बीकानर, जैसलमेर की गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में वित्तीय स्वीकृति शून्य है।
9 जिला जैसलमेर की गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में सभी 138 कार्यो की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति पैन्डिंग है।
10 मा0 विधायक द्वारा प्रेषित अनुशंषाओं की कियान्विति हेतु मुख्यालय से एडवाईजरी जारी की जावे।

11 सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों को जिला परिषद के कार्यो में Deployed करने की कार्यवाही की जावे।

2. महात्मा गांधी नरेगा

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरोही श्रमिक नियोजन 9000 से बढ़ाकर 500000 तक आगामी 20 दिसम्बर तक करे।
2 आगामी विडियों कान्फ्रेन्स में CFT ब्लॉक के सभी विकास अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहेगे।
3 दिनांक 14.9.2015 से 17.11.2015 तक मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) बांसवाडा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, को दिये गये।
4 जिला राजसमन्द, उदयपुर एवं जालौर को आगामी विडियो कान्फ्रेंन्स से पूर्व वर्ष 2009–10 से पहले के अपूर्ण कार्यो के 50 प्रतिशत तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
5 ग्राम पंचायतवार Login and Password उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
6 सामाजिक अंकेक्षण हेतु वेयरफुट इन्जिनियर को लगावे।

3. सामाजिक अंकेक्षण

1 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण अभियान (माह अप्रैल–मई 2015) में राशि रू. 11.58 लाख की वसूली में से शेष राशि रू. 9.66 लाख की वसूली होना शेष है विशेष रूप से नागौर, करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर, बीकानेर, बूंदी एवं उदयपुर में बकाया है, जिसकी तत्काल वसूली कर अवगत करावे।
2 पूर्व वर्षों के सामाजिक अंकेक्षण की वसूली भी शीघ्र की जावे। विशेष रुप से भीलवाडा, डूंगरपुर, अजमेर, टोंक एवं राजसमन्द में सर्वाधिक प्रकरण राशि बकाया है जिसे प्राथमिकता देते हुए वसूली करके रिपोर्ट भेजी जावे। भीलवाडा में ग्राम पंचायत तस्वारिया में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त की गई कार्यवाही की प्रगति से अवगत करावे।
3 वर्ष 2015–16 (प्रथम छःमाही) में 8901 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी किया गया है, उनमें 740 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त नही हुई है (अलवर, भीलवाडा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, झालावाड, नागौर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर), अविलम्ब भेजें। 494 ग्राम पंचायतों का कलैण्डर जारी नही किया गया है (अलवर, बाडमेर, भीलवाडा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड, झुंझुंनू, जोधपुर, सीकर एवं श्रीगंगानगर) उनका कलैण्डर जारी करे। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा माह नवम्बर, 2015 तक आयोजित की जाकर सूचना शीघ्र भिजवायें :–

- ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन एवं प्रशिक्षण की सूचना जिन जिलों से अभी तक नहीं भेजी गई है, शीघ्र भिजवायें।

- वर्ष 2014–15 (द्वितीय छः माही) सारांश की सूचना बांसवाडा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, कोटा, पाली, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, बाडमेर एवं उदयपुर ने अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भिजवायें।
- वर्ष 2015–16 में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के सांराश की भी सूचना शीघ्र भिजवाये।
- **वर्ष 2013–14 में सामाजिक अंकेक्षण व्यय की सूचना** जिला बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर, जालौर, झालावाड, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर से प्राप्त नही हुई है, जिसे शीघ्र भिजवाये।
- **वर्ष 2014–15 में सामाजिक अंकेक्षण व्यय की सूचना** जिला बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जालौर, झालावाड, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर से प्राप्त नही हुई है, जिसे शीघ्र भिजवाये।
- वर्ष 2014–15 (प्रथम चरण, द्वितीय चरण) वर्ष 2015–16 (प्रथम चरण) की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स पृथक–पृथक के अपलोड करने की संख्या निर्धारित प्रारूप में शीघ्र भिजवाये।
- इन्दिरा आवास योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2015–16 (प्रथम छः माही) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ करके निर्धारित प्रपत्रों में रिपोर्ट भिजवाई जावे।
- आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना रिपोर्ट जिन जिलों ने अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भिजवायें।
- समस्त अति0 जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अपने सामाजिक अंकेक्षण नोड्ल अधिकारी एवं जिला संसाधन व्यक्तियों के साथ नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण की मॉनिटरिंग हेतु बैठकें करें एवं समस्त सूचनाओं को समय पर भिजवाया जाना एवं सामाजिक अंकेक्षण राज्य सरकार के निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना करते हुए सम्पन्न हो, यह सुनिश्चित करावें।

4. आवास योजना

1 राजसमंद, प्रतापगढ, डूँगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर में लक्ष्यों के अनुसार Registration पैण्डिग है।
2 आवास Registration की कार्यवाही लगातार जारी रखें। Registration लक्ष्यों से अधिक भी हो सकता है।
3 थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु जारी किये गये आदेशों की पालना सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवास योजना एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं में करना सुनिश्चित करें।
4 थर्ड पार्टी के साथ विभाग के किसी नियमित कार्मिक को साथ नहीं भेजें।
5 डूँगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ, पाली चित्तोडगढ, बाडमेर में FTO पैण्डिग है।
6 लक्ष्यों के अनुसार खाता फ्रिज कर FTO जारी करने के निर्देश दिये गये।
7 वन क्षेत्र में आवास के पात्र परिवार जिन्हें पट्टे के अभाव में आवास स्वीकृत नहीं किया जा रहा है उनकी सूचना मुख्यालय को भेजे।
8 आवास सहायक औसत 50 आवासों पर एक लगावे।
9 जिला उदयपुर को 2000 आवास सहायक लगाने के निर्देश दिये गये

10 आवास सहायक के मोबाईल नम्बर एवं आवंटित क्षेत्र की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

11 बांसवाडा/डूँगरपुर को आकाशवाणी पर Audio हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।

12 मुख्य मंत्री बीपीएल के क्लेम 21 नवम्बर 2015 तक करवाने के निर्देश दिये गये।

13 अन्य चिन्हित वर्ग की सूची जिला जैसलमेर, राजसमंद, शीघ्र भिजवायें।

5. डांग क्षेत्रीय विकास योजना

1. डांग योजना में बूँदी17, बांरा के 14 कार्य अप्रारम्भ हे।
2. सभी योजना में 1.4.2014 से पूर्व के अप्रारम्भ/अपूर्ण कार्यो की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जावे।

6. मगरा क्षेत्रीय विकास योजना

1. राजसमंद के 245 कार्य, भरतपुर के 243 कार्य अप्रारम्भ है।
2. जिन कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है उसे कन्वरजेन्स के तहत ही करावे।
3. वर्ष 2016–17 का प्लान आवंटन की दुगनी राशि तक तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये।
4. भरतपुर आवासीय विद्यालय के स्वीकृत कार्यो को शुरू करावें। पिछले वर्ष के 256 कार्य अपूर्ण है।

7. सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास योजना

1. जिला बाडमेर से जसिन्दर रेल्वे स्टेशन की जांच रिपोर्ट अप्राप्त है।
2. जिला बीकानेर की स्वीकृतियॉ लम्बित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 3–4 दिन में स्वीकृतियॉ जारी करने का आश्वासन दिया है।
3. वर्ष 2016–17 का प्लान (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट) हेतु बेसलाईन सर्वे शुरू कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये।

8.सांसद आदर्श ग्राम योजना

1. जिला कलक्टर स्तर पर प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जावे।
2. वीडीपी के अनुसार वांछित स्वीकृति जारी करें।

9. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना

1. जिन जिलों में मा0 विधायक द्वारा ग्राम पंचायत का चयन नहीं किया गया है उन्हें चयन करने हेतु पत्र जारी करें।
2. बेस लाईन सर्वे हेतु प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को राशि रू. 50000 दिये गये है। राशि की ओर आवश्यकता होने पर एमएलए लैड की बचत से करने के निर्देश दिये गये।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेन्स में चर्चा योग्य बिन्दुओं का समीक्षा नोट वीसी से पूर्व मुख्यालय को प्रेषित करें तथा वीसी होने के पश्चात अनुपालना रिपोर्ट आगामी वीसी के 7 दिवस पूर्व (Email-pdme2k_rdd@yahoo.com) भिजवाना सुनिश्चित करें।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, निदेशक, मिड़–डे–मील, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
9. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
10. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी–सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।
12. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/(श्री योजना)।
13. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.)